दवाओं पर QR कोड: अनुसूची H2 में कौन-सी दवाएँ

स्वास्थ्य और औषधि नियमन | समाचार संदर्भ: औषधि (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026, अधिसूचित 22 जून 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

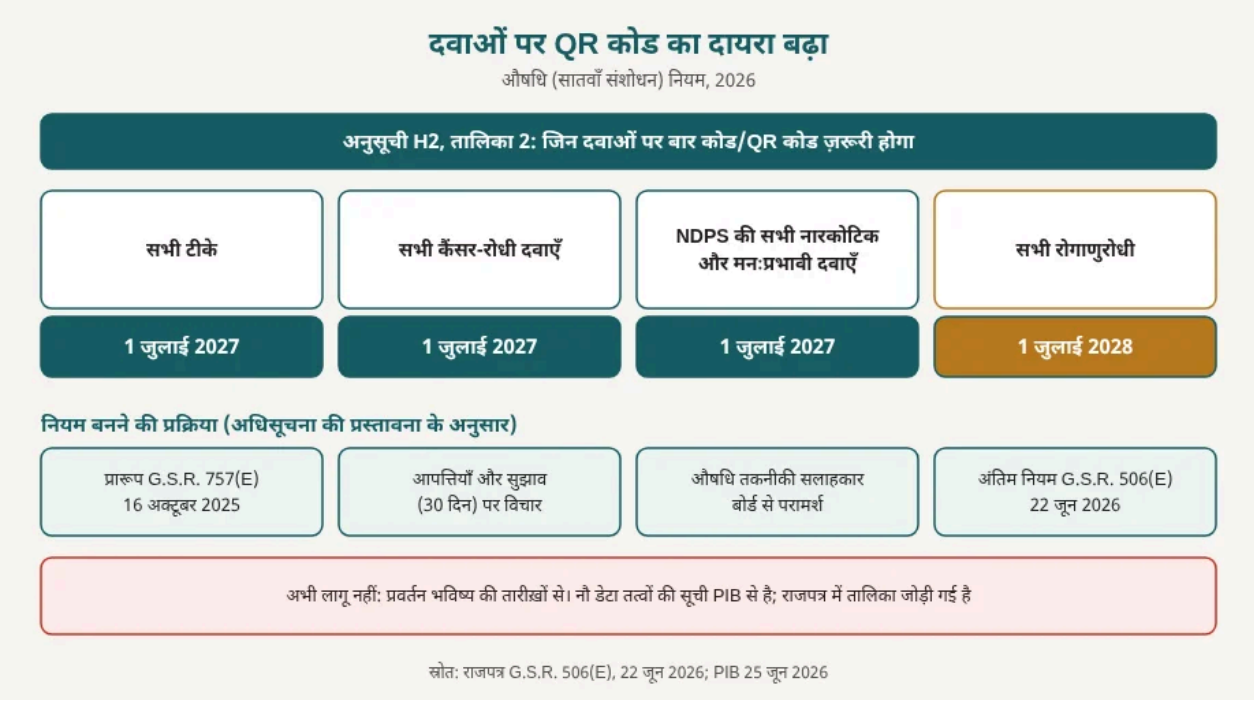
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बने औषधि नियम, 1945 में दवाओं के लेबल, लाइसेंस और गुणवत्ता की शर्तें हैं। अनुसूची H2 उन दवाओं की सूची बताती है जिनकी पैकिंग पर बार कोड या QR कोड लगाना ज़रूरी है, ताकि आपूर्ति-शृंखला में दवा की प्रामाणिकता जाँची जा सके। QR कोड में दवा की पहचान और निर्माता की जानकारी होती है, जिसे सॉफ़्टवेयर से पढ़कर नकली या घटिया दवा पहचानी जा सकती है।

खबरों में क्यों

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 22 जून 2026 को राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 506(अ) (G.S.R. 506(E)) जारी की, जिसे “औषधि (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026” कहा गया। इसमें अनुसूची H2 में तालिका 2 जोड़ी गई, जिसके तहत सभी टीके, सभी रोगाणुरोधी, NDPS अधिनियम के अंतर्गत सभी नारकोटिक और मनःप्रभावी दवाएँ और सभी कैंसर-रोधी दवाएँ आती हैं। PIB ने 25 जून 2026 को इसकी जानकारी दी।

मुख्य अवधारणा: चरणबद्ध प्रवर्तन

नियम राजपत्र में प्रकाशन से ही लागू नहीं होते। अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई 2027 से लागू होंगे, पर रोगाणुरोधी दवाओं वाली प्रविष्टि 1 जुलाई 2028 से। यानी उद्योग को तैयारी का समय दिया गया है। इस लेख की तारीख़ (18 अक्टूबर 2026) पर ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं; वे भविष्य की तारीख़ों से लागू होंगे।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

अधिसूचना	**सा.का.नि. 506(अ) / G.S.R. 506(E), 22 जून 2026, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; "औषधि (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026" (राजपत्र का मूल पाठ, CDSCO की वेबसाइट पर)**
क्या जोड़ा गया	अनुसूची H2 की मौजूदा तालिका का नाम "तालिका 1" किया गया और उसके बाद "तालिका 2" जोड़ी गई। तालिका 2 की श्रेणियाँ: (1) सभी टीके; (2) सभी रोगाणुरोधी; (3) NDPS अधिनियम, 1985 और उसके नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी नारकोटिक और मनःप्रभावी दवाएँ; (4) सभी कैंसर-रोधी दवाएँ।
प्रवर्तन की तारीख़	नियम 1 जुलाई 2027 से लागू; तालिका 2 की क्रम संख्या 2 (सभी रोगाणुरोधी) 1 जुलाई 2028 से (राजपत्र पाठ)।
प्रारूप से अंतिम नियम तक	अधिसूचना के अनुसार प्रारूप नियम G.S.R. 757(E) में 16 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुए थे (राजपत्र प्रतियाँ 18 अक्टूबर 2025 को जनता को उपलब्ध)। आपत्तियों पर विचार और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद अंतिम नियम बने।
पहले की व्यवस्था	PIB के अनुसार QR कोड की अपेक्षा पहले देश के शीर्ष 300 दवा ब्रांडों पर लागू थी।
QR कोड में क्या	PIB के अनुसार नौ डेटा तत्व: विशिष्ट उत्पाद पहचान कोड, दवा का उचित और जेनेरिक नाम, ब्रांड नाम, निर्माता का नाम और पता, बैच संख्या, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, विनिर्माण लाइसेंस संख्या और अन्य घटकों का ब्योरा। यह सूची हमने राजपत्र में नहीं देखी, क्योंकि अधिसूचना केवल तालिका जोड़ती है।
PIB के अनुसार उद्देश्य	जालसाज़ी और घटिया दवाओं पर अंकुश, नियामक निगरानी मज़बूत करना और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से लड़ाई में नकली या घटिया रोगाणुरोधी की बेहतर पहचान।
स्वैच्छिक अपनाव	PIB के अनुसार निर्माताओं को अधिसूचित तारीख़ों से पहले स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

नियम कैसे काम करता है

कानूनी ढाँचा: औषधि नियम अधिनियम की धाराओं 12 और 33 के तहत बने हैं। अंतिम नियम बनाने से पहले प्रारूप प्रकाशित करके तीस दिन में आपत्तियाँ माँगी जाती हैं और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श होता है। इस अधिसूचना की प्रस्तावना में यही प्रक्रिया दर्ज है।

कवरेज का तरीक़ा: पहले की व्यवस्था ब्रांड-आधारित थी (शीर्ष 300 ब्रांड)। नया ढाँचा श्रेणी-आधारित है: किसी श्रेणी की "सभी" दवाएँ। इससे बड़े और छोटे ब्रांड, दोनों इसके दायरे में आते हैं।

जाँच कैसे होगी: PIB के अनुसार QR कोड में संग्रहीत जानकारी सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन से पढ़ी जा सकेगी। ऐसा कौन-सा ऐप या पोर्टल होगा, यह PIB विज्ञप्ति और अधिसूचना में नहीं है।

यह विषय क्यों मायने रखता है

चुनी हुई श्रेणियाँ: टीके, रोगाणुरोधी और कैंसर-रोधी दवाएँ ऐसे उत्पाद हैं जहाँ नकली या घटिया दवा का नुकसान गंभीर हो सकता है। यह हमारा तर्क है। PIB ने उद्देश्य नकली-घटिया दवा पर अंकुश और AMR से जुड़ी लड़ाई बताया है।

नशीली दवाएँ: PIB ने इसे "नशा मुक्त भारत" के प्रयासों से जोड़ा है। इसका वास्तविक प्रभाव कितना होगा, यह लागू होने के बाद ही देखा जा सकेगा।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

अभी लागू नहीं: अधिसूचित नियम जुलाई 2027 और जुलाई 2028 से लागू होंगे। इसलिए उनके प्रभाव का कोई प्रमाण अभी नहीं है; लेख केवल अधिसूचित प्रावधान बताता है।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: सभी टीकों, रोगाणुरोधी और कैंसर-रोधी दवाओं के लिए QR कोड की लागत और छोटे निर्माताओं पर बोझ जैसे प्रश्न स्वाभाविक हैं, पर अधिसूचना या PIB में इनका आकलन नहीं है। यह चर्चा के लिए प्रश्न है, निष्कर्ष नहीं।

स्रोत और सीमाएँ: हमने राजपत्र अधिसूचना का मूल पाठ (CDSCO की राजपत्र-सूची, प्रविष्टि 21: https://www.cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/Notifications/Gazette-Notifications) और PIB विज्ञप्ति (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2277691&lang=2&reg=48) पढ़ीं। अनुसूची H2 का पूरा मौजूदा पाठ और QR कोड के तकनीकी विनिर्देश हमने नहीं पढ़े। CDSCO की राजपत्र-सूची के पहले पृष्ठ पर 18 अक्टूबर 2026 को इस विषय पर कोई बाद का संशोधन नहीं दिखा; पूरी सूची हमने नहीं खँगाली।

पूर्व लेख से अंतर: pcsmantra.com पर QR कोड या अनुसूची H2 पर कोई लेख हमें नहीं मिला। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर हमारा लेख स्वास्थ्य-तंत्र की चुनौती पर है, इस नियम पर नहीं।

आगे की राह

इस लेख को 22 जून 2026 की अधिसूचना की स्थिति मानें। प्रवर्तन की तारीख़ें (1 जुलाई 2027 और 1 जुलाई 2028) अभी भविष्य में हैं और अधिसूचना में बदलाव की स्थिति हमने केवल CDSCO सूची के पहले पृष्ठ तक जाँची है।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) राजपत्र का नियम-पाठ (तालिका 2, तारीख़ें); (2) PIB की व्याख्या (उद्देश्य, नौ डेटा तत्व, पुरानी 300-ब्रांड व्यवस्था); (3) अभी अज्ञात बातें (तकनीकी ढाँचा, लागत, प्रभाव); और (4) हमारी व्याख्याएँ।

मेंस दृष्टि

GS-II: स्वास्थ्य, नियामक संस्थाएँ और सरकारी नीतियाँ; GS-III: प्रौद्योगिकी का शासन में उपयोग। उत्तर में अधिसूचना के पाठ और अपनी राय को अलग रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

औषधि नियम, 1945 की अनुसूची H2 के विस्तार (22 जून 2026) के आधार पर दवाओं की ट्रैक-एंड-ट्रेस व्यवस्था की उपयोगिता और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अनुसूची H2 और QR कोड।

मुख्य भाग में: नई श्रेणियाँ और तारीख़ें; नकली दवा और AMR से संबंध; क्रियान्वयन की चुनौतियाँ।

निष्कर्ष में: ट्रैक-एंड-ट्रेस की उपयोगिता को लागू होने की अलग-अलग तारीखों और क्रियान्वयन की तैयारी के साथ परखें; अधिसूचना को अभी लागू व्यवस्था या नकली दवाओं तथा AMR में सिद्ध कमी न मानें।

स्रोत

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजपत्र अधिसूचना G.S.R. 506(E), औषधि (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026 (22 जून 2026), CDSCO की अपलोड की गई प्रति
- PIB, QR कोड आधारित प्रमाणन टीकों, रोगाणुरोधी, NDPS और कैंसर-रोधी दवाओं तक (25 जून 2026)

नियम-पाठ राजपत्र की प्रति से है; उद्देश्य और नौ डेटा तत्व PIB से। दोनों सरकारी दस्तावेज़ हैं।

याद रखें: राजपत्र अधिसूचना G.S.R. 506(E) (22 जून 2026) ने अनुसूची H2 में सभी टीके, रोगाणुरोधी, NDPS की दवाएँ और कैंसर-रोधी दवाएँ जोड़ीं। नियम 1 जुलाई 2027 से लागू होंगे, रोगाणुरोधी 1 जुलाई 2028 से; यानी अभी लागू नहीं हुए।